an>

Title: Discussion on points arising out of the Answer given by the Minister of Environment, Forests and Climate Change on 26.11.2014 to Starred Question No. 42 regarding 'Plastic Hazards'.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up Item No. 18 – Half-an-hour discussion.

Dr. Kirit Somaiya.

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, प्लास्टिक हजार्ड, प्रश्न - 42, जिस पर हम यहां 26.11.2014 को चर्चा कर रहे थे, जिसमें कुछ बिन्दुओं पर चर्चा अधूरी रह गई थी। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्लास्टिक हजार्ड की समस्या के जो विभिन्न अंग हैं - 1. प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चरिंग, जो स्टडी करना है उसमें production, manufacturing the guideline for the same. दूसरी बात है सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तीसरा यूज है और चौथा महत्व का बिन्दु डिस्पोजल है। सबसे पहला मुद्दा है कि हर राज्य ने इस संबंध में अपने अलग-अलग नियम बनाए हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार इस संबंध में कोई इनीशिएटिव लेकर सब राज्यों को साथ बिठाकर मैनुफैक्चरिंग से लेकर सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज और डिस्पोजल के बारे में समान कानून बनाने की गाइडलाइन बनाने के संबंध में विचार करेगी? दूसरा, कानून, अवेयरनैस, एजुकेशन और कमिटमैंट - इस संबंध में भी हमें काफी काम करने की आवश्यकता है। हम कानून बनाते हैं लेकिन अवेयरनैस में काफी कम पड़ रहे हैं। अवेयरनैस क्रिएट करने के लिए जैसे माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अभी स्वच्छ भारत का ऐलान किया तो पूरे देश में स्वच्छ भारत की चर्चा होने लगी। क्या हम प्लास्टिक मुक्त भारत की भी एक कल्पना रख सकते हैं? उसे लेकर we can do it.

I would like to give a couple of examples. हमारे मंत्री महोदय बहुत नजदीक से जानते हैं कि मुम्बई में माथेरान is one hill station. वहां काफी प्लास्टिक था। I went there for 12 months. आज माथेरान के नगर निगम से लेकर सबने मिलकर निर्णय किया और प्लास्टिक मुक्त माथेरान बन गया। हम मैट्रो रेलवे देखते हैं। एक ओर नार्मल रेलवे और दूसरी ओर मैट्रो रेलवे। आज आप मैट्रो रेलवे में देखते हैं कि कितनी स्वच्छता है और नार्मल रेलवे में क्या स्थिति है। स्मोकिंग, आज से 10, 15, 20 साल पहले रास्ते में कोई भी व्यक्ति स्मोकिंग करता था तो सिगरेट वहीं फेंकता था। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि can you go for a study कि हिन्दुस्तान के सौ सबसे बड़े शहरों का अध्ययन किया जाए। यहां अर्बन मिनिस्टर वैंकैय्या नायडू जी भी बैठे हुए हैं। Garbage disposal से लेकर अंत तक यह देखें कि प्रोजैक्ट लगा है या नहीं, उसकी क्या स्थिति है, प्लास्टिक के बारे में इन सौ शहरों में क्या नियम बनाए गए हैं। इसी प्रकार सौ नदियां ले लीजिए। हमारे मुम्बई में मीठी नदी थी जो आज अदृश्य हो गई है। इसी प्रकार प्लास्टिक का परिणाम नदियों पर क्या हुआ।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान एक और विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा। आज मुम्बई जैसे शहर में गारबेज डिस्पोजल या वेस्ट मैनेजमैंट की स्थिति काफी दयनीय है। मैंने आपसे पहले भी प्रार्थना की थी। आपकी पौल्युशन कंट्रोल बोर्ड की टीम दो-तीन महीने पहले मुम्बई होकर गई है। क्या आप इस बारे में जानकारी देंगे कि मुम्बई जैसा महानगर जो देश की आर्थिक राजधानी है, वहां हम प्लास्टिक मुक्त मुम्बई का सपना साकार नहीं कर सके। वहां गटर चोक हो जाते हैं। पूरे मुम्बई के तीन डम्पिंग ग्राउंड मेरे ही क्षेत्र मुलुंड, कांजूर और गोवंडी मानखुर्द में हैं। वहां कोई Garbage Disposal Scientific System नहीं है।

मैं अंत में एक बात कहकर समाप्त करूंगा। प्लास्टिक हैजार्ड के कारण आरोग्य पर परिणाम होता है। आरोग्य पर होने वाले परिणाम के बारे में साइंटीफिक स्टडी करके लोगों के सामने रखना चाहिए। अवेयरनैस का प्रारंभ हम एजुकेशनल इंस्टीटयूशन्स से करें। सरकार, माननीय मंत्री महोदय, जैसे मैंने कहा कि अर्बन मिनिस्ट्री से कोआर्डिनेशन करके गारबेज डिस्पोजल की जागृति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अवेयरनैस प्रारंभ करें।

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने प्लास्टिक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। आप जानते हैं कि सरकार द्वारा कई बार इसके बारे में चर्चा होती है, खासकर इन्वायरनमेंट मिनिस्ट्री द्वारा कहा जाता है कि प्लास्टिक के ऊपर बैन लगना चाहिए, प्लास्टिक का सोच-समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हम यह मैसेज तब तक नहीं दे सकते हैं। जैसा हमारे वरिष्ठ सदस्य किरीट भाई ने कहा कि प्लास्टिक बैन के ऊपर भी हमें सोचना चाहिए। प्लास्टिक के डिस्पोजल के ऊपर भी सोचना चाहिए। आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि बाकी देश में क्या करना चाहिए, वह तो आप करें हीं, लेकिन पहली शुरूआत हमें अपनी तरफ से करनी है। संसद परिसर, सभी राज्यों के विधान मंडलों, केन्द्र सरकार के सभी संस्थानों, राज्य सरकार के सभी संस्थानों, पीएसयूस, इनमें हमें प्लास्टिक के ऊपर बैन के बारे में हमें अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए। गांधी जी के बारे में हम सब कह रहे हैं। आज अगर मंत्री जी इस बारे में घोषणा करेंगे कि विधान मंडल, संसद, सभी सरकारी संस्थान, इनमें अगर प्लास्टिक बैन करेंगे तो आप देश को एक मैसेज दे सकते हैं। प्लास्टिक के बारे में अवरनेस संसद की तरफ से पहले होनी चाहिए। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

m03

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : महोदय, राजीव सातव जी ने कहा कि कम से कम एक शुरूआत हो, बढ़िया सुझाव है, मैं चाहता हूं कि हमलोग भी इस पर चर्चा करें, सदन परिसर में कम से कम इस काम को करें। You being the Deputy Speaker, I request the Chair also to take into consideration to see at least if we can prohibit the plastics within the premises of Parliament, then that can be an example to States also. That is a suggestion. I welcome the suggestion.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : उपाध्यक्ष जी, निश्चित तौर से आज जिस तरह से प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है इससे पूरे देश में एक बहुत ही खतरे की स्थिति पैदा हो गई है। यहां तक की प्लास्टिक के कारण जमीन अनउपजाऊ हो रही है जानवर इसे खाकर मर रहे हैं। जगह-जगह प्लास्टिक के कचरों के कारण स्वच्छता पर भी निश्चित रूप से बहुत फर्क पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इसके लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। इसके लिए दो तरह से काम करना चाहिए, एक तो स्वच्छता के लिए इस पर प्रतिबंध लगाएं, दूसरा प्लास्टिक को इकट्ठा करके जलाने का काम भी करें और उससे कुछ अन्य उपयोगी चीजें भी बनायी जा सकती हैं, इसके लिए प्रयोग करने का काम करें तो अच्छा रहेगा। इसके साथ-साथ जमीन अनउपजाऊ हो रही है, वहां के लिए भी कोई व्यवस्था देखने का काम करें।

SHRI SURESH C. ANGADI (BELAGAVI): Thank you very much for the opportunity given to me.

Today, the whole India has become a garbage hell. We have read many articles in the weekly and monthly magazines. Today, urbanization has become a hell. So, as per the suggestion of my colleague, Dr. Kirit Somaiya, it should be taught from the primary school. Cleanliness should

come from the schools itself. Once it started from schools and educational institutions, then the awareness will come among young people. The urbanization hell has been created by the educated people only. Most of the villages are very neat and clean. But why have the cities become so dirty? It is because the educated class has only destroyed the cities.

My earnest request to the Government and to the Members of Parliament is that this education should start from urban areas and from educated people only. It should not start from the villages. You go to any village in the country. The villages are very neat and clean. They are farming. They are doing agriculture. Their small huts are very neat and clean. But whenever you go to urban areas, say, you take Bengaluru, you take Mumbai, you take Chennai, you take Delhi and even the very, very VIP colony, it is not clean. If the Members of Parliament go and take a round in North Avenue or in South Avenue, they will feel how much dirty it is and they can find how much plastic is there. First, we should be clear. We should be aware of it. It is very, very important today. The whole world is focussing on India. The whole world is appreciating our hon. Prime Ministe* who has taken the initiative to clean India. This is a very good initiative. So, I suggest that this should go through education. Thank you.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं किरीट सोमैया जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर पूरे देश के लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया।

उपाध्यक्ष महोदय, हम मुम्बई शहर से आते हैं। हमने वहां प्लास्टिक बैग के बारे में अवेयरनैस लाने के लिए बहुत प्रयत्न किया। लोगों को 20 माइक्रोन्स या उससे कम माइक्रोन्स के कैरी बैग्स को उपयोग नहीं करना चाहिए, इस बारे में बहुत प्रयत्न हुआ। मेरे पूर्व मित्र ने भी कहा कि इस बारे में कानून बनाना चाहिए। मैं भी कानून बनाने से सहमत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कानून बनाकर हम सब बातों को रोक नहीं पायेंगे। हमें लोगों को इसमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे स्वच्छता अभियान में नरेन्द्र मोदी जी ने सारे देश के लोगों को जोड़ा, वैसे ही हम इस अभियान में सब लोगों को साथ लेकर उनकी सोच में परिवर्तन लाते हैं तो उसका आने वाले दिनों में लाभ हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैनुफैक्चर के ऊपर कानून न लाने से इसे बहुत से लोग उपयोग में लाते हैं, जैसे क्लाथ इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री के लोग पैकेजिंग के काम में इसका बहुत बड़े पैमाने में उपयोग करते हैं। यदि ऐसे लोगों पर हम रिस्ट्रक्शन्स लाते हैं तो इसमें हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि इसमें सब लोगों को साथ लेकर एक अवेयरनैस कम्पैन चलाने की बहुत आवश्यकता है। ...(व्यवधान)

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Hon. Deputy Speaker, Sir, I have only one suggestion in this regard. In my constituency 50 per cent of the area is urban. Sir, treatment of plastic waste has become the biggest problem. I would request the Ministry of Environment to work towards capacity building and establish treatment plants. They do it in cooperation with the Ministry of Urban Development. By that we can also produce electricity. I wish that both the Ministries should think over it.

Another thing is that there is no mechanism to control the banned plastic which is manufactured in major cities. I want to know whether the Government has worked out some strict measures so that the State Governments may follow them.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, hon. Deputy Speaker, Sir. I have only two questions because the Minister for Urban Development and the Minister for Environment and Climate Change are here.

Plastic as such is not a hazard. It is the use of plastic that has made life hazardous. I would say that especially the urban bodies are facing this problem. I would request if some mechanism could be developed by both the Ministries, as has been suggested by Joshi ji, for the disposal and recycling of plastic. It needs to be looked upon as we are now looking into disposal of urban waste. In that respect, if some specific funding and technology is provided to urban bodies, that can be of great help for disposal of plastic. Will the Government look into that?

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, किरीट सोमैया जी ने एक बहुत अच्छा विषय यहां रखा। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Only you have to ask the question. It is not a discussion. You only ask what you want to ask.

श्री सी.आर.चौधरी : मेरा मंत्री जी से एक ही निवेदन है। Since I was the Director of local bodies in Rajasthan for three years, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्लास्टिक गरीब व्यक्तियों के लिए उपयोगी चीज है, क्योंकि यह सस्ता है। But disposal and recycling of it is a must. इसके लिए कुछ कानून बनाना चाहिए कि इसका डिस्पोजल किस प्रकार से किया जा सके।

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि सिर्फ प्लास्टिक बैग्स ही हानिकारक नहीं है। छोटे बच्चों के खिलौने भी प्लास्टिक से बनते हैं, उनकी दूध की बोतल और निप्पल भी प्लास्टिक से बनते हैं। आजकल संभ्रांत परिवारों में खाने के जो बर्तन काम में लिये जाते हैं, वे भी प्लास्टिक के बनते हैं। इसलिए आपको दोनों चीजें थोड़ी-थोड़ी करनी पड़ेगी, यानी कानून के साथ-साथ अवेयरनैस भी लानी पड़ेगी। मैं यही निवेदन करना चाहती हूं।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय उपाध्यक्ष जी, इस दिशा में 2002 में न्यायाधीश रंगनाथ मिश्र समिति, 2007 में आर.सी. चोपड़ा समिति और 2010 में मंत्रालय द्वारा विशेष समिति का गठन किया गया था। 2008-09 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अलग से समिति गठित की गई थी। इन सबका परामर्श और निचोड़ यह था कि यदि तत्काल इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो इससे तमाम हानियां होंगी। चाहे हिमालय का क्षेत्र हो, चाहे बड़े शहरों का क्षेत्र हो, चाहे गौमुख हो, चाहे कारबेट नैशनल पार्क हो और राजाजी नैशनल पार्क हो, हर स्थान पर जिस तरह तेजी से और कम समय में भयंकर तरह से फैल रहा है, इससे तमाम नुकसान हो रहे हैं, दूरगामीन नुकसान हो रहे हैं। मैं

अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर तत्काल प्रतिबंध होना चाहिए और वैकल्पिक चीजों के बारे में सोचा जाना चाहिए।

श्री अनिल शिरोले (पुणे) : माननीय उपाध्यक्ष जी, कुछ शहरों में प्लास्टिक से हाइड्रो कार्बन बनाया जाता है। मुझे लगता है कि अगर सरकार इसकी जानकारी लेकर, रिसर्च करके प्लास्टिक से हाइड्रो कार्बन बनाए तो इस समस्या का निदान हो सकता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): मुझे बहुत खुशी है कि जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे पर किरीट सोमैया जी ने आधे घंटे की चर्चा में यह विषय उठाया। राजीव सत्व, भैरों प्रसाद मिश्र, सुरेश अंगडी, गोपाल शेट्टी, भर्तृहरी मेहताब, सी.आर. चौधरी, संतोष जी, अनिल शिरोले ने बहुत अच्छे सुझाव दिए। मैं सबका स्वागत करता हूं। यह चर्चा इसलिए उपस्थित हुई क्योंकि जब प्रश्न आया था तब सदन में इस पर बहुत अच्छी चर्चा हुई थी। यह सबकी चिंता का विषय है। मेहताब जी ने कहा - Plastic, *per se*, is not bad. प्लास्टिक बैग्स का मुद्दा है, इसके बारे में नियम है या नहीं? 40 माइक्रोन के नीचे बैग नहीं पैदा कर सकते हैं, यह नियम है, कानून है। लेकिन स्थिति क्या है? जब यह सवाल आया तो मैंने तुरंत दूसरे दिन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कहा कि केवल दिल्ली में कुछ जगह जाकर सरप्राइज चैक कीजिए। स्कवाड्र्स गए, उन्होंने चैक किया। वे जिन 30 मैन्युफैक्चरिंग जगह पर गए, वहां तीन चीजें पाईं। पहला बात कि यह अनरजिस्टर्ड है। दूसरी बात कि मैन्युफैक्चरिंग धड़ल्ले से हो रही है और तीसरी बात कि 40 माइक्रोन से नीचे हो रही है। जब तब मैन्युफैक्चरिंग ही बंद नहीं होगी तो आगे की कहानी अलग ही होगी। इसके लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है।

इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज कितना संकट है। देश में 15,000 टन प्लास्टिक वेस्ट का निर्माण होता है। इसमें 9,000 टन कलैक्ट होता है लेकिन 6000 टन कलैक्ट नहीं होता है। यह पड़ा रहता है। यह सौ साल या इससे ज्यादा भी ऐसे ही पड़ा रहेगा क्योंकि यह डिग्रेडेबल नहीं है, चाहे कितनी भी बारिश आए, बाढ़ आए, भूचाल आए लेकिन यह कहीं नहीं जाएगा। यह एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, गटर को चोक करेगा, ड्रेनेज को चोक करेगा, गाय-भैंस के पेट में जाएगा और ऐसे ही पड़ा रहेगा। सुरेश जी, ग्रामीण चित्र इतना अच्छा नहीं है। हम सभी किसी न किसी सड़क से रोज गुजरते हैं, अब गांव भी प्लास्टिक के ढेर बन गए हैं। यह वास्तविकता है। हम सबको मिलकर इसका सामना करना है। सरकार की जिम्मेदारी पहले बनती है कि क्या किया जाए।

इस पर लंबी बहस कभी भी कर सकते हैं। लेकिन फैक्ट यह है कि इससे कितना हैल्थ हजार्ड है, यह भी समझने की बात है। The health hazards due to chemical additives. जब ये वातावरण में पड़े रहने से रिलीज होते हैं, तब प्राब्लम आती है और फिर रिसाइकल होता है उससे भी प्राब्लम आती है। Some of these additives are endocrine disruptors, and can migrate into the body tissue and enter the food chain. तो मुझे लगता है कि उससे भी बहुत ज्यादा खतरा है। इसलिए यदि इसका पूरी तरह से उपाय करना है तो हमने कुछ सोचा है, मैंने जो सोचा है उसका केवल नक्शा बताऊँगा फिर कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज़ हैं, उसका भी जवाब दूँगा। As I said earlier, on December 9th and 10th, surprise checks were carried out at seven areas in Delhi. Thirty units were found to be unregistered and they were producing plastic carry bags not meeting with the standard of film thickness of 40 microns. These units do not have any measures of environmental or fire safety.

Therefore, we have decided to take immediate action. The Central Pollution Control Board has directed all the State Pollution Control Boards and Pollution Control Committees in Union Territories under Section 5 of the Environment Protection Act. ये पाँच नम्बर के सैक्शन से जो आदेश देते हैं, उसका उनको पालन करना है। That the illegal and unregistered units, including units manufacturing sub-standard carry bags shall be closed down taking the help of the local administration, police and disconnection of electricity as applicable. कानून तो यह कहता है, लेकिन मुद्दा यह है कि इसका अमल नहीं हुआ था। इसलिए राज्यों की भी जिम्मेवारी बनती है। हम जिन राज्यों से आये हैं, वहाँ भी हम बताएं कि यह संकट है। कानून केन्द्र का है, लेकिन अमल की जिम्मेवारी राज्यों पर है। इसलिए राज्य सरकार इसमें अगुवाई करके इसे करें। हम दस दिन लीमा में थे, लेकिन मैं ट्रैक कर रहा था कि सरप्राइज़ चेक्स में क्या मिल रहा है। मेरी अपेक्षा से भी ज्यादा हुआ यानी हर यूनिट में इललीगल मैन्यूफैक्चरिंग धड़ल्ले से हो रहा है। इसको चेक करना है। इसके कानून के अनुसार आज एक लाख रुपए का दण्ड लगता है। एक लाख रुपए तो कभी पकड़े गये तो दे सकते हैं, नहीं तो वैसे भी कुछ न कुछ मैनेज करने की लोगों को आदत है। लेकिन हम यह नहीं होने देंगे। इसलिए जब इंवायरनमेंट प्रोटैक्शन एक्ट और वाइल्ड लाइफ एक्ट, जो बदल रहे हैं, जो इंवायरनमेंट रेगुलेशन का काम करते हैं, उसमें जो सालों से कमियाँ पायी गयी हैं, उस पर एक हाई लेवल कमेटी श्री टी.एस.आर. सुब्रमण्यम जी के नेतृत्व में गठित की गयी थी, उन्होंने हमारी सिफारिश दी है, उस पर विचार चल रहा है। जल्दी ही हम इसके कानून के प्रावधान को सदन के सामने रखेंगे, जब इस पर बहस होगी। उसमें हम एक लाख रुपए के स्थान पर दस लाख रुपए का दण्ड करें, 50 लाख रुपए तक का भी दण्ड करें, इसकी क्वांटिटी क्या है, उसे देखकर, इस पर विचार कर रहे हैं। इस पर भी विचार किया जा रहा है कि स्टेट लेवल एडवाइज़री बॉडी आज केवल कागज पर है, लेकिन वास्तविकता में यह केवल आठ राज्यों में बनी है। जिन आठ राज्यों में बनी है, वह भी सालों-साल मिलती नहीं है। उसकी छमाही बैठक हो, उसका फॉलो-अप हो, इसे भी उसमें मैनडेट करेंगे। इसमें एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, imposing total prohibition/ban on manufacturing or usage all kinds. यदि हम शादी या किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो हम थर्मोकोल देते हैं या प्लास्टिक की प्लेट्स होती हैं। ये भी बहुत डैंजरस हैं, ये तो अभी कानून के दायरे में हैं ही नहीं। लेकिन यह भी हाजर्डस वेस्ट है। चूंकि इसमें पॉलिस्टर होता है और उसे जलाने पर हेल्थ हाजार्ड तैयार होता है। इसलिए cups, saucers, spoons, forks and other utensils, ये आज तक कानून के दायरे में नहीं थे, उन्हें कानून के दायरे में लाने का सरकार विचार कर रही है। रेलवे अथारिटीज के साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं कि रेलवे के आसपास जो प्लास्टिक का कचरा जमा होता है, उसके बारे में भी काम कर रहे हैं, to ban and prohibit carry bags of any film below 40 microns, handle or non-handle. लोग उसमें भी कुछ न कुछ अक्ल चलाते हैं। वे कहते हैं कि हैंडल वाले बैग पर बैन है। अब जो बिना हैंडल के पन्नी है, जो सारे ग्रौसरी शॉप्स में मिलती है, उसी में सारा सामान बांधकर देता है। वह एक बड़ा मुद्दा है। जो कानूनी लूप-होल्स हैं, उन्हें बंद करेंगे। कानून को और सख्त करने का इरादा है, उसमें आप सबका समर्थन मिलेगा, ऐसी आशा है।

जैसा किरीट जी ने कहा, यह केवल प्रोडक्शन रोक्कर भी नहीं होगा। जो जमा है, वह 100 साल रहने वाला है जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए रिसपांसिबल कार्बन डाई आक्साइड वातावरण में 100 साल तक रहता है, वैसे यह भी 100 साल की समस्या है। इसलिए जब तक यह जनता का आन्दोलन नहीं बनेगा, तब तक इसका उपाय नहीं होगा। इसमें कोई पार्टी नहीं है, सब एक ही पार्टी हैं। जब हम यह करेंगे, अपनी-अपनी जगह पर स्वच्छता अभियान की शुरूआत करेंगे। यदि गांव के सभी लोग चलकर गांव में जो प्लास्टिक बिखरा है, उसे उठाना बिल्कुल आसान है। प्लास्टिक मुक्त भारत की कल्पना आपने रखी, बहुत सही है, इसलिए यह भी एक आन्दोलन हम सभी को मिलकर करना होगा। डिसपोजल, यूज, रिसाइकिल - इन तीनों का मुद्दा है। रिसाइकिल के लिए ही 40 माइक्रॉन की बात आई है। अगर 40 माइक्रॉन का है तो रिसाइकिलिंग की पॉसिबिल्टी है और तभी रैगपिकर उठाता है, नहीं तो वह उसे उठाता ही नहीं है। जो पतली पन्नी होती है, उसे कोई उठाता नहीं है। शिरोले जी ने एवं बाकी लोगों ने जो उपाय बताएं हैं कि इसका रोड में उपयोग किया जा सकता है, हाइड्रो कार्बन तैयार करने में उपयोग किया जा सकता है, एनर्जी के लिए उपयोग कर सकते हैं। मैं अभी लीमा में था, वहां ऐसी 40 प्लास्टिक थैलियों से एक अच्छी थैली बनाई गयी थी, जिसे लेकर आप बाजार में जा सकते हैं। पहले भी हमे थैली लेकर दुकान में जा रहे थे, हमारी आदत बिगड़ गयी, इसलिए अब उसे भी शुरू

करना होगा। स्कूल कॅरीकुलम में लाना होगा। यह सब करना होगा क्योंकि अगर देश को साफ-सुथरा बनाना है, मोदी जी का स्वच्छ भारत का सपना पूरी जनता का सपना है, प्रधान मंत्री जी ने उसका नेतृत्व किया है, अगर स्वच्छ भारत करना है तो प्लास्टिक मुक्त भारत करना पड़ेगा। इसके लिए इसके सभी पहलुओं पर एक नए सिरे से विचार करके एक अच्छा कानून, ठीक नियम और उसके दायरे में जनता का एक आन्दोलन एवं अवेयरनेस कैंपेन, ये सब हम लांच करेंगे, उसमें आप सभी का सहयोग चाहिए।...(व्यवधान) मुंबई की विजिट की रिपोर्ट आई है, आने वाले एक-दो सप्ताह में जब मैं मुंबई जाऊंगा, तब किरीट जी के साथ उन तीनों जगहों पर जाने वाला हूं।...(व्यवधान) अरविन्द सावंत जी को भी साथ ले जाउंगा। तीनों जगहों पर उनको भी साथ लूंगा। ...(व्यवधान) लास्ट में, दो-तीन छोटे मुद्दे उठाए गए हैं, जो महत्वपूर्ण हैं। ...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल प्लांट के लिए क्या एक पायलट प्रोजेक्ट कटक में शुरू करेंगे?...(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर: जरूर करेंगे और कटक के प्रोजेक्ट को हम क्या मदद कर सकते हैं, वह देखेंगे और उसके जो परिणाम आएंगे।...(व्यवधान) यह मैं अपेक्षा करता हूं कटक के प्रोजेक्ट से। यही रोल आता है म्यूनिसिपल बॉडीज का। मंत्री जी यहां बैठे हैं और वे बहुत एक्टिव हैं। जब तक सभी कारपोरेशन्स, नगर निगम, और मैं मानता हूं, कि ग्राम पंचायतों की ओर से यह नहीं होगा कि प्लास्टिक वेस्ट को हम गांव में, शहर में नहीं रहने देंगे, तब तक यह समस्या खत्म नहीं होगी क्योंकि यह उनकी जिम्मेदारी है। जो स्टॉकिस्ट होते हैं, जो प्लास्टिक पन्नियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन पर कार्रवाई करना केवल म्यूनिसिपल कारपोरेशन्स का अधिकार है। राजीव सातव जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हम अपने से शुरूआत करें और वही सबसे अच्छी शुरूआत होती है। Charity begins at home.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House is extended till the Minister completes his reply.

श्री प्रकाश जावड़ेकर: इसलिए यह भी सुझाव करने लायक है, हम सभी मिलकर करें, पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर उसका कुछ निर्देश तैयार करें, अगले सत्र से हम सभी इसमें सहयोगी होंगे। मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण विषय था, जिसकी प्रश्न में भी चर्चा हुई, आज भी चर्चा हुई, उसके आलोक में हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे।